न्यायालय जिला कलेक्टर सवाई माधोपुर

मुत.(6ऐ)संख्या 25/24 वर्ष 2024

GCMS NO :–2024/135

बउनवानीः–सरकार जरिये प्रवर्तन निरीक्षक सवाईमाधोपुर, जिला सवाई माधोपुर

बनाम

1. श्री बुद्वि प्रकाश साहू पुत्र श्री केसरलाल साहू नि0 कुस्तला रोड सवाईमाधोपुर
   (प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 6 ऐ आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955)

उपस्थित :– श्रीमति पूजा मीना (प्रवर्तन निरीक्षक) पैरोकार, रसद
श्री पारस मल जैन वकील अप्रार्थी

—: निर्णय :— दिनांक 30.01..2025

प्रवर्तन निरीक्षक,सवाईमाधोपुर द्वारा दिनांक 8.10.2024 को आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 के नियम 6 ऐ के तहत इस न्यायालय मे प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर निवेदन किया है कि दिनांक 26.9.2024 को खाद्य विभाग राज0 जयपुर के आदेशो की पालना में जिला रसद अधिकारी के निर्देशानुसार घरेलु एल.पी. जी. गैस का अवैध व्यवसायिक कार्यो मे दुरूपयोग रोकने हेतु गठित संयुक्त जॉच दल द्वारा की गयी जॉच कार्यवाही के दौरान अप्रार्थी अपनी फर्म मैसर्स राम और श्याम, कुस्तला रोड़ सवाईमाधोपुर पर व्यवसायिक गैस सलेण्डर का अवैध उपयोग ग्राहको के लिए खाना बनाना पाये जाने पर जब्त कर कब्जे राज लिये गये 3 गैस सिलेन्डर को राजसात (Confiscate) किये जाने बाबत निवेदन किया गया।

प्रकरण न्यायालय हाजा में प्रस्तुत करने पर दर्ज पंजिका में इन्द्राज किया जाकर सुनवायी हेतु अप्रार्थी की तलबी जरिये नोटिस की गयी।

तत्पश्चात् बहस पैरोकार रसद एवं वकील अप्रार्थी सुनी गयी ।

पैरोकार रसद ने दौराने बहस प्रवर्तन निरीक्षक सवाईमाधोपुर की ओर से इस न्यायालय में दिनांक 8.10.2024 को अन्तर्गत धारा 6 (ऐ) आवश्यक वस्तु अधिनियम,1955 के तहत प्रस्तुत प्रार्थना पत्र मे उल्लेखित तथ्यों की ओर ध्यान आकर्षित कर कथन किया कि संयुक्त जॉच दल के साथ श्रीमति पूजा मीना प्रर्वतन निरीक्षक, बहमराह श्री कीर्तेश मीना, सुश्री ज्योति शर्मा प्रर्वतन निरीक्षक, द्वारा विभागीय निर्देशों की पालना में एलपीजी गैस के दुरूपयोग की जॉच हेतु दिनांक 26.9.2024 को अप्रार्थी की फर्म मैसर्स राम और श्याम कुस्तला रोड सवाईमाधोपुर पर पहुॅचकर आकस्मिक जॉच की गई। मौके पर वरवक्त जॉच फर्म के मालिक श्री बुद्वीप्रकाश पुत्र श्री केसरलाल साहू निवासी कुस्तला रोड़ सवाई माधोपुर उपस्थित मिले जिनकी उपस्थिति में जॉच की गयी। वरवक्त जॉच मौके पर 19.00. किलोग्राम के 3 व्यवसायिक गैस सिलेण्डर का अवैध भण्डार एवं ग्राहको के लिए खाना बनाये जाने के कार्य मे उपयोग लेते हुए पाया गया। किन्तु अप्रार्थी द्वारा अपनी फर्म पर उक्त व्यवसायिक गैस सलेण्डर के रखे जाने बाबत कोई विधिक दस्तावेज प्रस्तुत नही किये गये, जो द्रवित पेट्रोलियम गैस (वितरण एवं विनियमन) आदेश 2000 का उल्लंघन है एवं आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 की धारा 3/7 के अन्तर्गत दण्डनीय अपराध है। अप्रार्थी के व्यवसाय स्थल पर पाये गये निम्न घरेलू 3 गैस सलेण्डर को जब्त कर दुरूपयोग रोकने की दृष्टि से कब्जेराज लिया जाकर निम्नानुसार जब्त किये गये गैस सलेण्डर का निरीक्षण पर्चा,फर्द अभिग्रहण,व सुपुर्दगीनामा, मौके पर तैयार कर मैसर्स रेणु एन्टरप्राईजेज, सवाईमाधोपुर के प्रतिनिधि श्री दिनेश बैरवा पुत्र श्री राकेश बैरवा निवासी पचाला को अग्रिम आदेश तक सुरक्षित रखने हेतु सुपुर्गी मे दिये गये है। मौके पर से निम्न विवरणानुसार गैस सिलेन्डर जब्त किये गये है।

क.स.	कम्पनी का नाम	एस.आर.नम्बर	खाली सिलेण्डर का वेजन कि.ग्रा.	मौके पर वजन किये गये सिलेण्डर का भार	शुद्व गैस
1	आईओसीएल	021988	19.300	29.00	9.700
2	आईओसीएल	092213	19.200	27.00	7.800
3	आईओसीएल	029149	19.00	27.00	8.00

अप्रार्थी का उक्त कार्य आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 की धारा 3/7 के तहत दण्डनीय अपराध की श्रेणी मे आता है। अतः प्रस्तुत 6 ऐ प्रार्थना पत्र स्वीकार कर जब्त किये गये 3 गैस सिलेण्डर को राजसात किये जाने बाबत पैरोकार रसद द्वारा निवेदन किया गया।

Signature Not Verified
Digitally signed by Kana Ram
Date: 2025.10.21 15:31:45 IST
Reason: SelfAttested

(शुभम चौधरी)
जिला कलेक्टर
सवाई माधोपुर

Scanned with OKEN Scanner

(मुत. 6ए संख्या 25/2024 सरकार जरिये प्रवर्तन निरीक्षक बनाम बुद्दि प्रकाश साहू)

विद्वान वकील अप्रार्थी द्वारा दौराने बहस कथन किया कि जॉच दल द्वारा प्रार्थी के विरूद्ध निराधार तथ्यो के आधार पर 6ऐ का प्रकरण बनाया है क्योकि दिनांक 26.9.2024 को प्रवर्तन निरीक्षक, विपक्षी के व्यवसायिक स्थल पर निरीक्षण हेतु पहुँची तथा उन्होने विपक्षी की फर्म पर उपयोग में लिये जा रहे तीन व्यवसायिक सलेण्डरों को अप्रमाणित होना मानकर चैकिंग कार्यवाही के दौरान जब्ती की गयी। वरवक्त जॉच उक्त व्यवसायिक गैस सलेण्डरों से संबंधित दस्तावेज फर्म के टेबिल की दराज में रखे हुए थे तथा उक्त दराज की चाबी विपक्षी के पुत्र कुलदीप के पास थी जो बाजार मे व्यवसाय हेतु उपयोग में ली जाने वाली सामग्री लेने हेतु गया हुआ था। हमारे पास उक्त तीनो सलेण्डरों के विधिक दस्तावेज होने एवं विपक्षी का पुत्र बाजार से आते ही जॉच दल को दिखा देने बाबत आग्रह किया किन्तु प्रवर्तन निरीक्षक ने विपक्षी की बात नही मानते हुए विपक्षी के तीन व्यवसायिक सलेण्डर जो विपक्षी के पास विधिक अधिकार एवं आधिपत्य में थे को जब्त कर लिया। विपक्षी के पास दिनांक 26.9.2024 को ही चार सलेण्डर सुबह ऐजेन्सी से प्राप्त हुए थे जिनमे से तीन सलेण्डर जॉच दल द्वारा जब्त कर लिये गये। विपक्षी अपनी फर्म पर पांच व्यवसायिक सलेण्डर रखने के लिये विधिक रूप से अधिकृत है। विपक्षी दिनांक 26.9.2024 को ही अपने दस्तावेजात लेकर प्रवर्तन निरीक्षक के पास गये तो उन्होने कहॉ कि हमने तो जब्ती की कार्यवाही कर दी है अब उक्त तीनो सलेण्डर को न्यायालय से ही आप छुडवा सकते हो आपके पास जब भी न्यायालय का नोटिस प्राप्त हो आप अपने दस्तावेज वहॉ प्रस्तुत कर अपने तीन सलेण्डर छुडवा सकते हो और इस तरह प्रवर्तन निरीक्षक ने हमारे पास विधिक दस्तावेज होते हुए भी हमारे उक्त तीन व्यवसायिक सलेण्डर विधिक रूप से अधिकार एवं आधिपत्य मे थे जिन्हे कतई गलत ढंग से जब्त किया गया है। इस कारण उक्त जब्तशुद्वा तीनो व्यवसायिक सलेण्डर को वापस सुपुर्द किया जााना न्यायहित में आवश्यक है। इस प्रकार प्रार्थी के विरूद्व की गयी 6ऐ की कार्यवाही विधिविरूद्व होने से निरस्त की जावे एवं प्रार्थी की फर्म से जब्त किये गये 3 गैस सिलेण्डर को वापस लोटाये जाने बाबत वकील अप्रार्थी द्वारा निवेदन किया गया।

पैरोकार रसद एवं वकील अप्रार्थी को सुनने एवं संबंधित पत्रावली का ध्यान पूर्वक अवलोकन एवं मनन करने के उपरान्त हम इस निष्कर्ष पर पहुँचते है कि अप्रार्थी की फर्म से प्रवर्तन निरीक्षक सवाईमाधोपुर द्वारा दिनांक 26.9.2024 को जॉच के दौरान अप्रार्थी की फर्म से जब्त किये गये 3 व्यवसायिक गैस सलेण्डर की जब्ति कार्यवाही के समय अप्रार्थी द्वारा जॉच दल को 3 व्यवसायिक सलेण्डर से संबंधित दस्तावेज प्रस्तुत नही किये गये। अप्रार्थी द्वाराा सलेण्डर भरवाने की जो रसीद पेश की गयी है वो जब्ति दिनांक अथवा उसके बाद की दिनांक की पेश की गयी है जब्ति कार्यवाही से पूर्व की दिनांक को गैस सलेण्डर भरवाने का कोई विवरण पेश नही किया गया है इसलिए अप्रार्थी यह साबित नही कर पाये कि उनके द्वारा व्यवसायिक सलेण्डर का अधिकृत व वैद्य उपयोग किया जा रहा था। यद्यपि अप्रार्थी द्वारा अपनी फर्म राम श्याम भोजनालय कोटा मेघा हाइवे कुस्तला रोड़ पर खाना बनाने के लिए उपयोग मे लेने हेतु 5 व्यवसायिक गैस सलेण्डर उपभौक्ता कमांक 7202988036 श्याम इण्डेन ग्रामीण वितरक कुस्तला जिला सवाईमाधोपुर से गैस कनेक्शन ले रखा है किन्तु अप्रार्थी द्वारा प्रस्तुत रिकार्ड मे गैस सलेण्डर का सिरियल नम्बर नही होने के कारण यह साबित नही होता है कि जब्त किये गये सलेण्डर उक्त गैस कनेक्शन के है। अतः जॉच दल द्वारा जब्त किये गये 3 व्यवसायिक गैस सलेण्डर की जब्ति कार्यवाही विधिसम्मत होने के कारण प्रवर्तन निरीक्षक सवाईमाधोपुर द्वारा प्रस्तुत 6ऐ प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाना उचित समझते है।

अतः उपरोक्त विवेचन के आधार पर प्रवर्तन निरीक्षक सवाईमाधोपुर द्वारा प्रस्तुत 06 ऐ प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर वरवक्त जॉच कब्जे राज लिये गये उक्त 3 व्यवसायिक गैस सिलेन्डर को राजसात (Confiscate) किया जाता है। जिला रसद अधिकारी सवाईमाधोपुर को निर्देशित किया जाता है कि प्रकरण मे जब्त 3 गैस सलेण्डर का नियमानुसार निस्तारण ... कर पालना रिपोर्ट अन्दर एक माह इस न्यायालय को भिजवावे। पत्रावली फैसल शुमार होकर बाद ... म हो एवं बाद तकमील दाखिल अभिलेख की जावे।

Signature Not Verified
Digitally signed by Karta Ram
Date: 2025.10.21 15:31:45 IST
Reason: SelfAttested

निर्णय आज दिनांक 30.01.2025 को खुले न्यायालय में लिखाया जाकर सुनाया गया।

(शुभम चौधरी)
जिला कलेक्टर
सवाई माधोपुर

Scanned with OKEN Scanner